Lec-21

Dr. Parikshit Kr. Singh (1)
Dept. of LSW
SNSRKS College, Saharsa

कारखाना अधिनियम, 1948

वयस्क श्रमिकों के काम के घंटे
(Working hours for adult)

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 51 से 66 तक में वयस्क श्रमिकों के काम के घंटे का वर्णन किया गया है जो निम्न है –

(1) साप्ताहिक घण्टे (Weekly hours)– कारखाना में किसी भी वयस्क श्रमिकों से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा।

(2) साप्ताहिक अवकाश (Weekly holidays)– कारखाना में किसी वयस्क श्रमिक से सप्ताह के प्रथम दिन न तो काम लिया जाएगा और न ही उसे काम करने की अनुमति दी जायेगी। सप्ताह के प्रथम दिन तभी काम लिया जा सकता है, जब उक्त दिन के तुरन्त 3 दिन पूर्व एक दिन का अवकाश मिल गया हो अथवा 3 दिन पश्चात पूर्ण दिवस का अवकाश दिया जाने वाला हो। प्रबंधक को साप्ताहिक अवकाश दिवस को कर्म दिवस के प्रतिस्थापन की पूर्व सूचना कारखाना निरीक्षक तथा श्रमिकों को देना अनिवार्य है। लेकिन, साप्ताहिक अवकाश दिवस का प्रतिस्थापन इस प्रकार नहीं किया जायगा, जिससे श्रमिकों को एक दिन पूर्ण दिवस का अवकाश मिले बिना निरन्तर 10 दिन से अधिक का काम करना पड़े।

(3) क्षतिपूरक अवकाश (Compensatory holidays)– यदि किसी कारखाना को अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों

Scanned with CamScanner

में छूट दी जाती है जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकगण साप्ता-
हिक अवकाश के लाभ से वंचित हो जाते हैं तो ऐसी दशा में दो
माह के अन्दर उन्हें प्रतिपूरक छुट्टियाँ दी जायेंगी। इस संबंध
में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।

(4) दैनिक घण्टे (Daily hours)- वयस्क श्रमिकों से किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा और न ही 9 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति दी जायेगी। केवल पाली में परिवर्तन की सुविधा प्राप्त करने के लिए ही मुख्य निरीक्षक दैनिक कार्य के घण्टे बढ़ाने की स्वीकृति दे सकता है।

(5) विश्रान्ति अवकाश (Rest interval)- कारखाना में वयस्क श्रमिकों के लिए कार्य अवधियाँ इस प्रकार निश्चित की जायेंगी कि कोई भी अवधि 5 घण्टे से अधिक नहीं होगी। अर्थात् कोई भी श्रमिक निरन्तर 5 घण्टे से अधिक कार्य नहीं करेगा। 5 घण्टे काम करने के पश्चात उसे विश्राम के लिए आधे घण्टे का विश्रान्ति अवकाश मिलेगा। राज्य सरकार या मुख्य कारखाना निरीक्षक किसी भी कारखाना को उपर्युक्त प्रावधानों से मुक्त कर सकते हैं। किन्तु किसी भी दशा में बिना विश्रान्ति अवकाश दिये श्रमिकों से छः घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा।

(6) विस्तार कार्य (Spread-over)- ~~प्रत्येक~~ वयस्क श्रमिकों से विश्रान्ति अवकाश (Rest interval) सहित किसी भी दिन (10.30) साढ़े दस घण्टे से अधिक काम नहीं लिया जायगा। लेकिन मुख्य निरीक्षक विशेष परिस्थिति में

विस्तार कार्य अवधि को 12 घंटे तक विस्तार कर सकता है। राज्य सरकार पर्यवेक्षण प्रबंधकीय तथा गोपनीय स्थिति वाले व्यक्तियों को कुछ प्रावधानों से मुक्त कर सकती है।

(7) रात्रि पालियाँ (Night shifts)- यदि कोई श्रमिक ऐसी पाली में कार्य करता है, जो मध्य रात्रि के बाद चलती है तो उस पाली के समाप्त होने के बाद उसे पूर्ण दिवस अवकाश अर्थात् 24 घंटे का अवकाश दिया जायेगा।

(8) पालियों के एक-दूसरे पर चढ़े होने पर प्रतिबंध (Prohibition of overlapping shifts)- किसी भी कारखाना में पालियों की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि एक पाली में सिर्फ एक ही श्रमिक समूह के लिये काम करने की व्यवस्था हो। अर्थात् एक पाली की समाप्ति के बाद ही दूसरी पाली के श्रमिक समूहों के लिए कार्य प्रारंभ की व्यवस्था हो।

राज्य सरकार किसी भी कारखाना या किसी विभाग या श्रेणियों के किसी वर्ग को इन प्रावधानों से मुक्त कर सकती है।

(9) ओवरटाइम काम के लिए अतिरिक्त मजदूरी (Extra Wages for overtime)- कारखाना में कोई श्रमिक किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक अथवा किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करता है, तो अधिक समय के लिए उसे अपनी साधारण मजदूरी की दर से दुगुनी दर पर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है। मजदूरी की साधारण दर का अभिप्राय मूल मजदूरी तथा भत्ते से है, जिसमें श्रमिक को मिलने वाले उस लाभ का नकद मूल्य भी शामिल है जो साधारण की रियायती बिक्री अथवा अन्य सामग्री के रूप में उन्हें मिलता है। किन्तु बोनस तथा अतिरिक्त मजदूरी (over time wages) शामिल नहीं है।

Scanned with CamScanner

यदि किसी कारखाना में कार्यानुसार मजदूरी दर प्रचलित है तो वहाँ राज्य सरकार समयानुसार दर निश्चित कर सकती है। खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामग्री की रियायती बिक्री के रूप में मिलने वाले लाभ का नगद मूल्य एक आश्रित परिवार को दी जानेवाली खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की मात्रा के आधार पर निकाला जायेगा।

(10) दोहरे रोजगार पर प्रतिबन्ध (Restriction on Double employment)— कोई भी वयस्क श्रमिक कारखाना में किसी भी ऐसे दिन काम नहीं कर सकेगा और न ही उसे काम पूरा करने की अनुमति दी जायेगी यदि उसने किसी अन्य कारखाना में उसदिन काम कर लिया है। किन्तु राज्य सरकार की अनुमति से किसी श्रमिक को से दोहरा काम लिया जा सकता है।

(11) वयस्क श्रमिकों के कार्य की अवधियों की सूचना (Notice of periods of work for adults)— प्रत्येक कारखाना में धारा 108 की उपधारा (ii) के प्रावधानों के अनुसार वयस्क श्रमिकों की कार्य की अवधियों की सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा उसे ठीक तरह से रखा जायेगा। ऐसी सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि प्रत्येक दिन वयस्क श्रमिकों को किन-किन अवधियों में काम करना है।

उपर्युक्त सूचना की दोहरी प्रतिलिपि काम प्रारंभ होने के दिन से पूर्व कारखाना निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी। कार्य की अवधियों की सूचना में परिवर्तन करने की स्थिति में उसकी सूचना कारखाना निरीक्षक को दोहरी प्रति में देना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

(12) वयस्क श्रमिकों का रजिस्टर (Register for adult workers)

प्रत्येक कारखाना का प्रबन्धक वयस्क श्रमिकों का एक रजिस्टर रखेगा जो कार्य के घंटों के दौरान कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध रहेगा, जिसमें निम्नलिखित सूचनाओं का उल्लेख आवश्यक है –

(a) कारखाना के प्रत्येक वयस्क श्रमिक का नाम

(b) काम की प्रकृति

(c) उस समूह का नाम जिसमें उसे सम्मिलित किया गया है।

(d) समूह के पालियों का नाम

(e) अन्य कोई विवरण जो निर्धारित किया गया हो।

सरकार श्रमिकों के रजिस्टर का प्रारूप निर्धारित कर सकती है।

(13) कार्य की अवधियों की सूचना रजिस्टर के अनुसार होना (Hours of work to correspond with notice under sec 62) –

अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कार्य अवधि की सूचना तथा धारा 62 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर के विपरीत किसी वयस्क श्रमिक से काम नहीं लिया जायेगा।

(14) छूट देने वाले नियम को बनाने का अधिकार (Power to make exempting rules)

राज्य सरकार पर्यवेक्षण प्रबंध या गोपनीय पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ अध्याय के प्रावधानों से (धारा 66 की उपधारा (1) को छोड़कर) छूट दे सकती है।

राज्य सरकार वयस्क श्रमिकों को भी छूट देने सम्बन्धी नियम बना सकती है जो निम्न है –

(a) आवश्यक मरम्मत में काम करने वाले श्रमिकों को धारा 51, 52, 54, 55, 56 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

Scanned with CamScanner

(b) प्रारंभिक (preparatory) अथवा अनुपूरक (complementory) स्वभाव के काम में लगे श्रमिकों को धारा 51, 54, 55 तथा 56 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(c) अनियमित कार्य में लगे श्रमिकों को धारा 51, 54, 55, एवं 56 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(d) यान्त्रिक कार्य में कार्यरत श्रमिकों को धारा 51, 52, 54, 55, 56 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(e) प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कार्यरत श्रमिकों के धारा 51 तथा 52 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(f) मौसमी निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत श्रमिकों को अधिनियम की धारा 51, 52 तथा 54 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(g) प्राकृतिक प्रकृति के कार्यों में लगे श्रमिकों को धारा 52 एवं 55 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(h) इंजन कक्षों अथवा बॉयलर गृहों या शक्ति यंत्र में कार्यरत श्रमिकों को धारा 51 तथा 52 के प्रावधानों से छूट दिया जा सकता है।

(i) समाचार पत्रों की छपाई में कार्यरत श्रमिकों को धारा 51, 54 तथा 56 के प्रावधानों में छूट दिया जा सकता है।

(j) रेलवे लारियों तथा ट्रकों में माल चढ़ाने तथा उतारने के काम में लगे श्रमिकों को धारा 51, 52, 54, 55, 56 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(k) राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगे श्रमिकों को धारा 51, 52, 54, 55 तथा 56 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

(15) छूट देने सम्बन्धी आदेश जारी करने का अधिकार (Power to make exempting orders).

राज्य सरकार किसी भी कारखाना को वयस्क श्रमिकों

के लिए कार्य अवधियों की पूर्ण सूचना देने संबंधी नियम में छूट दे सकती है। अर्थात् अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों को लागू नहीं करने की छूट दे सकती है। दूसरी ओर काम के अत्यधिक दबाव की दशा में राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक वयस्क श्रमिकों के संबंध की धारा 51, 52, 54 56 प्रावधानों से छूट दे सकती है। छूट की शर्तें निम्न हैं—

(a) किसी भी दिन काम कुल घण्टे 12 से अधिक नहीं होंगे।

(b) विश्राम मध्यान्तर सहित किसी भी दिन काम के विस्तार की अवधि 13 घण्टे से अधिक नहीं होगी।

(c) किसी सप्ताह में काम के कुल घण्टे 60 से अधिक नहीं होंगे। किसी भी श्रमिक से लगातार 6 दिन से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा तथा एक त्रैमासिक अवधि में अधिक समय के लिए (over Time) काम के कुल घंटे 75 से अधिक नहीं होंगे।

(16) महिलाओं के नियोजन पर अतिरिक्त प्रतिबंध (Further restriction on employment of women)

इस अधिनियम की धारा 66 में महिलाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाये गये हैं जो निम्न है—

(a) महिला श्रमिकों को धारा 54 के प्रावधानों में छूट नहीं दी जायेगी अर्थात् 9 घंटे दैनिक से अधिक की छूट नहीं दी जा सकती।

(b) महिला श्रमिकों से 6 a.m बजे से 7 pm बजे तक के बीच ही काम लिया जा सकेगा। राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में अधिसूचना जारी करके महिला श्रमिकों के कार्यावधि में परिवर्तन कर सकती है; परन्तु किसी भी परिस्थिति में 10 pm से 5 am के बीच काम नहीं लिया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

(c) महिला श्रमिकों के लिए पाली परिवर्तन (shift change) साप्ताहिक अवकाश या अन्य अवकाश दिवस की व्यवस्था के बाद ही किया जा सकता है।

(d) राज्य सरकार नियम बनाकर मत्स्य संसाधन (fish-curing) या मत्स्य-डिब्बा बंदी (Fish canning) के कारखानों में कच्चे माल को नुकसान से बचाने के लिए महिला श्रमिकों को कार्य के विहित अधिकतम घंटों में छूट दे सकती है।

Scanned with CamScanner